



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 646 राँची, बुधवार, 10 कार्तिक, 1945 (श०)
1 नवंबर, 2023 (ई०)

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना

25 अक्टूबर, 2023

संख्या-11/स्था०अराज०-07/2013-4881--विभागीय अधिसूचना 3623, दिनांक-23.06.2016 द्वारा प्रवृत्त "झारखण्ड राज्य कारा अस्पताल पारा चिकित्सा कर्मी संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवार्थी) (संशोधन) नियमावली-2021" सहपठित अधिसूचना संख्या-3070, दिनांक-28.07.2022 प्रवृत्त है।

उक्त नियमावली की कंडिका-16(ii) में प्रदत्त शक्तियों के अधीन उक्त नियमावली में संशोधन/अंतःस्थापन करते हुए निम्नवत् संशोधन नियमावली गठित की जाती है:-

अध्याय - 1प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ:-
 - I. यह नियमावली झारखण्ड राज्य कारा अस्पताल पारा चिकित्सा सम्बर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली 2023 कही जाएगी ।
 - II. इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।
 - III. यह राजपत्र के प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा ।
2. झारखण्ड राज्य कारा अस्पताल पारा चिकित्सा सम्बर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त) (संशोधन) नियमावली 2016 के अध्याय-3, **नियम-8 सीधी नियुक्ति हेतु अर्हताएँ अंतर्गत कंडिका-(B)**में निम्नवत् संशोधन/अंतः स्थापन किये जाते हैं:-

नियम/कंडिका	पूर्व में अंकित प्रावधान	संशोधित प्रावधान
8 (B)(i) एक्स रे टेक्नेशियन,	(i) अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता:-“अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम इंटरमीडिएट (विज्ञान)/10+2 (विज्ञान) वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा । उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक/10वीं कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा ।	(1) अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता:- I.Sc. /10+2 (विज्ञान) में उत्तीर्णता के साथ एक्स-रे टेक्नेशियन का डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण। इस संवर्ग के कर्मियों के लिए कम्प्यूटर का सामान्य ज्ञान अनिवार्य है ।
8 (B)(ii) फार्मासिस्ट	परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट (विज्ञान) कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा।”	(1) अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता:- I.Sc. /10+2 (विज्ञान) में उत्तीर्णता के साथ फार्मासिस्ट का डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण/1994 के पूर्व मैट्रिक उत्तीर्ण के साथ फार्मासिस्ट का डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण ।
8 (B)(iii) मिश्रक	उक्त संशोधन के अतिरिक्त कंडिका-8 (B)(i) , (ii) एवं (iii) में अंकित एक्स-रे टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट तथा मिश्रक के लिए	(i) अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता:- I.Sc. /10+2 (विज्ञान) में उत्तीर्णता के साथ

	निर्धारित अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता संबंधी शेष प्रावधान यथावत रहेंगे ।	मिश्रक का डिप्लोमा कोर्स/1994 के पूर्व मैट्रिक उत्तीर्ण के साथ फार्मासिस्ट का डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण ।
8 (B)(iv) पुरुष नर्स (ए०एन०एम०)	(1) न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता-“अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक/10वीं कक्षा 45% अंको के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा ।	(1) न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता- 10वीं उत्तीर्ण (45% अंको के साथ) उक्त संशोधन के अतिरिक्त कंडिका-8 (B)(iv) एवं (v) में अंकित पुरुष नर्स (ए०एन०एम०) एवं महिला नर्स (ए०एन०एम०) के लिए निर्धारित अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता संबंधी शेष प्रावधान यथावत रहेंगे ।
8 (B)(v) महिला नर्स (ए०एन०एम०)	परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा 45 अंकों के साथ उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा ।“ उक्त संशोधन के अतिरिक्त कंडिका-8(B)(iv) एवं (v) में अंकित पुरुष नर्स (ए०एन०एम०) एवं महिला नर्स (ए०एन०एम०) के लिए निर्धारित अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता संबंधी शेष प्रावधान यथावत रहेंगे ।	
8 (B)(vi) परिधापक	अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक/10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा । परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से	मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से 10वीं उत्तीर्णता के साथ सरकारी संस्थान या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से परिधापक पद हेतु एक वर्ष का प्रशिक्षण कोर्स में उत्तीर्णता।
8 (B)(vii) नर्सिंग अर्दली		मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से 10वीं उत्तीर्ण ।

	मैट्रिक/10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेंगे ।“ उक्त संशोधन के अतिरिक्त कंडिका-8 (B)(vi) में अंकित परिधापक के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता संबंधी शेष प्रावधान यथावत् रहेंगे ।	
--	--	--

3. विभागीय अधिसूचना संख्या-3623, दिनांक-23.06.2016 द्वारा प्रवृत्त "झारखण्ड राज्य कारा अस्पताल पारा चिकित्सा कर्मी संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्तें) नियमावली-2016" एवं अधिसूचना संख्या-4743, दिनांक-04.09.2019 द्वारा प्रवृत्त "झारखण्ड राज्य कारा अस्पताल पारा चिकित्सा कर्मी संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्तें) नियमावली-2019" के शेष प्रावधान यथावत् रहेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अविनाश कुमार,
अपर मुख्य सचिव ।
